




# फर्द अहकाम

र्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

वारंट फ्लोर वरुण एंटी विपक्षी इश्वर सिंह  
 क्रमा 57, 188 RTACT पत्रावली संख्या 303/25 सन् \_\_\_\_\_

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p><u>14/11/25</u>                      पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।                      अति./विपक्षी/रेसपो. को जरिये सम्मन/                      नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद                      तलबी दि. <u>09/12/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      सहायक कलक्टर                      (SDO) मावली</p>	
<p><u>9/12/25</u> पत्रावली पेश हुई। अधि. वारी उप.।                      प्र.स. 1706, 11 के सम्मन एडी कादन तामीन                      प्राप्त। अधि. वारी पुनः सही पत्र पर पेश                      करे। प्र.स. 15 फोन जरिये सुचना रजि. एडी                      प्राप्त हुई। अधि. वारी वारिस काममी कराके।                      प्र.स. 77010, 127014, 167019 के सम्मन व ईज्जत                      रहे। पत्रावली वास्तु तलबी / वारिस काममी न. 15                      दिनांक <u>8/1/26</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
<p><u>8/1/26</u>                      वकूलाय यात्री/प्रतिवादी उप <u>तलबी/वा. काममी न. 15</u>                      के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>Es</u>                      अगसर दिनांक जाकर पत्रावली दि <u>15/12/26</u>                      को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      (SDO) मावली</p>	

5/12/26  
वकुलमय वादी/प्रतिवादी उप तलवा/वापिस कायम न. 15  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः इतिहास  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 23/8/26  
को पेश हो।

(SDO) मावली

23/8/26  
वकुलमय वादी/प्रतिवादी उप तलवा/वापिस कायम न. 15  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः इतिहास  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 11/5/26  
को पेश हो।

(SDO) मावली

11/5/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय  
स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय  
स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई  
गई। समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं।  
स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक  
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय  
स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का  
वाद अहम हाजरी अहम पैरवी में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार  
टोकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर (SDO)  
मावली, जिला उदयपुर